



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 701 राँची, बुधवार, 8 अग्रहायण, 1945 (श०)
29 नवम्बर, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

5 अक्टूबर, 2023

संख्या-5/आरोप-1-30/2022-24432(HRMS)--श्री विनय कुमार, झा०प्र०से० (द्वितीय 'सीमित' बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विश्रामपुर, पलामू के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-2286, दिनांक 21.06.2022 के माध्यम से उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-1208, दिनांक 25.09.2019 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं-

आरोप- इंदिरा आवास योजना (वित्तीय वर्ष 2012-13) की लाभुक श्रीमती संध्या देवी, ग्राम-केतातकला, प्रखण्ड-विश्रामपुर, जिला-पलामू को द्वितीय किस्त की राशि भुगतान ससमय नहीं कराना, कार्य में लापरवाही बरतना ।

इनका यह कृत्य सरकार के महत्वाकांक्षी एवं गरीबी उन्मूलन की योजना में लापरवाही बरतने, स्वेच्छारिता, कर्तव्यहीनता एवं मनमाने आचरण का परिचायक है तथा सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल है ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-4867, दिनांक-03.08.2022 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गई है। उक्त के अनुपालन में श्री कुमार के पत्र दिनांक-16.08.2022 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-5585, दिनांक-02.09.2022 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग से मंतव्य की माँग की गयी है। उक्त के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-3569, दिनांक-10.10.2022 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें श्री कुमार के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं है, प्रतिवेदित किया गया।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-18726(HRMS) दिनांक 26.12.2022 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-86, दिनांक 12.05.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्ष में अंकित किया गया है कि लाभुक को इंदिरा आवास योजना वित्तीय वर्ष 2012-13) का द्वितीय किस्त के भुगतान में विलंब हुआ है, परन्तु उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा समर्पित मंतव्य के संदर्भ में मैं इस नतीजे पर पहुँचता हूँ कि श्री विनय कुमार, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विश्रामपुर के विरुद्ध लगे विभागीय आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका बचाव बयान एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत श्री कुमार के विरुद्ध निन्दन का दण्ड प्रस्तावित करते हुए विभागीय पत्रांक-4012, दिनांक 19.07.2023 द्वारा श्री कुमार द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई।

उक्त के अनुपालन में श्री कुमार के पत्र, दिनांक 14.08.2023 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया, जिसमें कहा गया कि जाँच प्रतिवेदन में उन्हें आरोप मुक्त कर दिया गया है। अतः दण्ड देने का कोई वैधानिक आधार नहीं बनता है। माननीय न्यायालयों के न्यायादेश में निदेशित है कि अनुशासनिक प्राधिकार को जाँच पदाधिकारी के दायित्व का निर्वहन सामान्यतः नहीं करना चाहिए। विभागीय जाँच पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होने का आधार स्पष्ट होना चाहिए। किसी अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों के कृत्यों के लिए उन्हें दण्डित किया जाना न्यायोचित नहीं है। उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा समर्पित मंतव्य में भी उनके विरुद्ध लगाये गये आरोप को सत्य नहीं पाया गया है।

श्री कुमार के विरुद्ध आरोप, विभागीय जाँच पदाधिकारी का मंतव्य एवं द्वितीय कारण पृच्छा में समर्पित तथ्यों की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि लाभुक को द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान ससमय नहीं किये जाने के लिए तत्कालीन नाजिर श्री मनीष कुमार द्वारा अपनी भूल स्वीकार किया गया है एवं इसके लिए उन्हें असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि के रोक का दण्ड भी दिया गया है।

विभागीय जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन एवं सम्पूर्ण अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि लाभुक संध्या देवी की द्वितीय किस्त की भुगतान में विलम्ब हुआ है। प्रखण्ड स्तरीय सभी

योजनाओं का ससमय कार्यान्वयन हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेवार हैं। अतः लाभुक संध्या देवी को द्वितीय किस्त के भुगतान में विलम्ब होने के लिए मात्र नाजिर को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है बल्कि इसके लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी भी महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेवार हैं।

अतः समीक्षोपरांत, श्री विनय कुमार, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विश्रामपुर, पलामू द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14;(I) के अन्तर्गत निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री विनय कुमार, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1		श्री विनय कुमार, झा०प्र०से० (द्वितीय 'सीमित' बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विश्रामपुर, पलामू के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अन्तर्गत निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश में,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
